राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN,)

शासी निकाय (Governing Body) की प्रथम बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 26.11.2019 को श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, शासी निकाय (Governing Body), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में समिति कक्ष नम्बर 1, सचिवालय जयपुर में शासी निकाय (Governing Body) की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण/प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए :–

1.	श्री राजेश्वर सिंह, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं प. राज, विभाग	पदेन उपाध्यक्ष
2.	श्री आर.जी.विश्वनाथन, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान	सदस्य
3.	श्री नवीन जैन, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
4.	डॉ. आरुषी अजेय मलिक, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग	सदस्य
5.	श्री पी.सी. किशन, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा	सदस्य
6.	श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य सचिव
7.	श्री शरद मेहरा, निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के प्रतिनिधि	
8.	श्री सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के प्रतिनिधि	

निम्नलिखित अन्य अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित रहे :–

1. श्री मानस वाजपेयी, उप महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार कार्यालय
2. श्री सम्पत राम चांदोलिया, सहायक निदेशक, ईजीएस (प्रथम)
3. श्री दिनेश माथुर, लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय
4. श्री महेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय
5. श्री मोती लाल वर्मा, जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क एवं सूचना विभाग

बैठक के प्रारम्भ में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं उपाध्यक्ष शासी निकाय द्वारा समिति के गठन एवं इसके उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र आदि बाबत् विधिक प्रावधान एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। तत्पश्चात् बैठक में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के विधिवत गठन एवं सूचारू कार्य संचालन संबंधी विचारणीय बिन्दुओं पर चर्चा की गई ।

विचारणीय बिन्दुओं पर शासी निकाय (Governing Body), द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

निर्णय संख्या 1.1

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के Rules of Business बनाने हेतु कार्यकारी समिति (Excutive Committee) को अधिकृत किया गया। कार्यकारी समिति (Excutive Committee) द्वारा एक माह में Rules of Business तैयार करवाकर शासी निकाय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 1.2

विचारणीय बिन्दू संख्या 1.2 पर विचार विमर्श कर राजस्थान सरकार में प्रचलित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान सेवा नियम (RSR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम (RTPP Act/ Rules) एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के क्रियाकलापों के संचालन हेतु Adopt करने का निर्णय किया गया। आवश्यकतानुसार Shudule of Power बनाने के लिए भी कार्यकारी समिति को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 1.3

विचारणीय बिन्दू संख्या 1.3 पर ग्राम पंचायतों के महात्मा गांधी नरेगा के सम्बन्धित रिकॉर्ड एवं कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से करने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। राज्य में 11,145 ग्राम पंचायतों का वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना अत्यधिक वृहद कार्य है। कुछ सदस्यों द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शत प्रतिशत कार्य एवं शत प्रतिशत पंचायतों के स्थान पर आंशिक ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव किया गया, परन्तु महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 17 व धारा 23(3) एवं इसके अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना लेखा परीक्षा, 2011 के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य रूप से कराये जाने के प्रावधान होने के कारण यह निर्णय किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है।

अतः गहन विचार विमर्श उपरांत उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत भारत सरकार के निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायतों का नियमानुसार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का निर्णय किया गया।

प्रधान महालेखाकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया कि महालेखाकार अंकेक्षण दलों को सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित ग्राम संभाओं में स्वतंत्र प्रेक्षक (Independent Observer) के रूप में लगाया जा सकता है। इस पर विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रधान महालेखाकार को ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर प्रेषित किये जावेंगे। जहां–जहां संभव हो, महालेखाकार अंकेक्षण दल के सदस्य सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धी ग्राम सभाओं में उपस्थित रहकर अंकेक्षण कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। इस हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा उनके अंकेक्षण दलों को उपयुक्त निर्देश प्रदान करते हुए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही SSAAT एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा)

निर्णय संख्या 1.4

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति में 3–3 सिविल सोसायटी प्रतिनिधि के मनोनयन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं इन गैर सरकारी सिविल सोसायटी सदस्यों के मनोनयन हेतु सक्षम स्तर संबंधी प्रावधान का भारत सरकार के वार्षिक मास्टर परिपत्र वर्ष 2019–20 के Cheapter 10 के बिन्दू संख्या 10.1.2 (d) और मंत्रिमण्डल से अनुमोदित **SSAAT** के **Rules & Regulations** के बिन्दु संख्या 14–**Composition of Govering Body (iii)** का भी अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त **निर्णय किया गया कि सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों के चयन हेतु उपयुक्त लोगों के प्रस्ताव पत्रावली पर श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जावे।**

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 1.5

संस्था के कार्य संपादन हेतु एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ, 6 राज्य संसाधन व्यक्ति और 99 जिला संसाधन व्यक्तियों का चयन करने सम्बन्धी प्रस्ताव (विचारणीय बिन्दू संख्या 1.5 एवं 1.6) पर विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जुलाई, 2015 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। अगस्त 2016 में इन आवेदनों पर निर्णय किया गया, जिसमें सामाजिक विकास सलाहकार के लिए उपयुक्त अभ्यार्थी नहीं मिलने के कारण किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया गया था और 6 राज्य संसाधन व्यक्तियों का चयन कर एक पैनल तैयार किया गया था, परन्तु सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का विधिवत गठन न होने से किसी भी संसाधन व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी।

विचार–विमर्श उपरान्त **निर्णय किया गया कि पूर्व में की गई चयन सम्बन्धी प्रक्रिया को निरस्त किया जावे।**

यह भी निर्णय किया गया कि एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ, 6 राज्य संसाधन व्यक्ति, 99 जिला संसाधन व्यक्ति, स्वीकृत ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं स्वीकृत ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन करने, प्रशिक्षण कराये जाने, उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों और उन्हें भुगतान किये जाने वाले मानदेय आदि सम्बन्धी नियमावली एवं प्रक्रिया तेलंगाना राज्य के प्रवास की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करावे।

नियमावली में यह प्रावधान करने का भी **निर्देश दिये गये कि जिला संसाधन व्यक्ति जिस जिले के निवासी हो उससे भिन्न जिले में सामाजिक अंकेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे और इसी प्रकार ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति भी जिस ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उसमें सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन नहीं करेंगे।**

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 1.6

संस्था के कार्य संपादन हेतु *विचारणीय बिन्दू संख्या 1.7* पर विचार–विमर्श किया गया। चूंकि पूर्व में सामाजिक अंकेक्षण निदेशक द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के आंतरिक अंकेक्षण और विशेष जांच कार्य के साथ साथ सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी संपादित किया जा रहा था। अतः कुल 43 पद स्वीकृत थे।

वर्ष 2016 में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के कार्यालय हेतु 16 पदों के लिए वित्त विभाग की आई डी संख्या 101602193 दिनांक 21.06.2016 द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी। तत्समय सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का विधिवत गठन नहीं हो पाया। अब मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 49/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु उक्त सोसायटी का स्वंतंत्र ईकाई के रूप में गठन का अनुमोदन होने पर दिनांक 20.08.2019 को संस्था का पंजीयन कराने एवं दिनांक 19.09.2019 को सोसायटी की अधिसूचना गजट में प्रकाशित करवाया गया है।

समिति को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), चोदहवें वित्त आयोग (FFC), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) तथा स्वच्छ भारत अभियान (SBM) आदि योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक मद में अनुमत 6 प्रतिशत राशि में से 0.5 प्रतिशत सहित कुल 1 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के बैंक खाते में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण पेटे भी उपयुक्त राशि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को प्राप्त होगा। उक्त राशि से सामाजिक अंकेक्षण से जुडे हुए सभी नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों और संसाधन व्यक्तियों आदि पर होने वाला व्यय तथा सामाजिक अंकेक्षण की गतिविधियों पर होने वाले अन्य व्यय भी वहन किये जावेंगे। इस प्रकार राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार आने की संभावना नहीं है।

अतः **विचार विमर्श उपरांत निर्णय किया गया कि विचारणीय बिन्दु संख्या 1.7 के अनुसार प्रस्तावित कुल 20 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकरण वित्त विभाग को भिजवाया जावे।**

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 1.7

विचारणीय बिन्दु संख्या 1.8 पर विचार विमर्श उपरांत सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के **कार्यालय संचालन हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री एवं सेवाओं के नियमानुसार उपापन करने के लिए सोसायटी की कार्यकारी समिति (EC) को अधिकृत किया गया।**

(कार्यवाही SSAAT द्वारा)

निर्णय संख्या 1.8

समिति को अवगत करवाया गया कि दिनांक 13–14 नवंबर, 2019 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित "सामाजिक अंकेक्षण पर राष्ट्रीय सेमीनार" में उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ अन्य योजनाओं यथा– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), चोदहवें वित्त आयोग (FFC) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) आदि योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है।

इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान (SBM) के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों का भी सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के आदेश इस विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के कम में जारी किये हुए हैं।

अतः विचार विमर्श उपरांत निर्णय किया गया कि वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालनार्थ महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), चोदहवें वित्त आयोग (FFC), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) तथा स्वच्छ भारत अभियान (SBM) योजनाओं का ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा संपादित किया जावे। अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के बारे में यथासमय उचित निर्णय किये जावेंगे।

(कार्यवाही SSAAT, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, निदेशक (SBM) एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा)

निर्णय संख्या 1.9

वर्तमान में निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंग के रूप में कार्यरत है। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के आंतरिक अंकेक्षण और विशेष जांच कार्य भी निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा ही संपादित किया जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित सामाजिक अंकेक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार में निर्देशित किया गया कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी एवं योजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण करने वाली संस्था भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इसी आधार पर निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा संपादित किया जा रहा वित्तीय सलाहकार, मनरेगा का कार्यभार अन्य अधिकारी को हस्तांतरित किया गया है।

अतः निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा वर्तमान में संपादित कराया जा रहा महात्मा गांधी नरेगा योजना के आंतरिक अंकेक्षण और विशेष जांच कार्य को वित्तीय सलाहकार, मनरेगा के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के मुख्यालय का अंकेक्षण कार्य निरीक्षण विभाग एवं जिलों के कार्यों का आंतरिक निरीक्षण एवं विशेष जांच कार्य वित्तीय सलाहकार, मनरेगा द्वारा आयुक्त, मनरेगा के निर्देशन में कराया जा सकेगा।

(कार्यवाही SSAAT एवं ग्रामीण विकास विभाग की ईजीएस शाखा द्वारा)

निर्णय संख्या 1.10

प्रधान महालेखाकार श्री आर.जी. विश्वनाथन द्वारा अवगत कराया गया कि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के विधान में कार्यकारी समिति (EC) में प्रधान महालेखाकार को सदस्य रखा जाना विधिक प्रावधानों के प्रकाश में उचित नहीं है। शासी निकाय (Governing Body) में प्रधान महालेखाकार को सदस्य रखे जाने से ही संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हो जावेगी।

अतः विचार विमर्श उपरांत **श्रीमान् अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यह निर्णय राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल स्तर से अनुमोदित है जिसमें संशोधन उसी स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। उचित होगा कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय से इस बाबत उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण सक्षम स्तर से संशोधन हेतु प्रस्तुत करा दिया जावे।**

(कार्यवाही महालेखाकार एवं SSAAT द्वारा)

इसके उपरांत बैठक श्रीमान् अध्यक्ष महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(रामावतार शर्मा)
सदस्य–सचिव

क्रमांक– F. 61. (2) SSAAT/GB Meeting/2019/6712-24 दिनांक 3|12|19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महो., राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महो., ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो., शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
6. प्रधान महालेखाकार राजस्थान।
7. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
8. शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
9. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग।
10. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
11. विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
12. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
13. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।

3.12.2019
(रामावतार शर्मा)
सदस्य–सचिव